17/01/2018

कार्य सरकार [illegible]/अवकाश पर हैं। [illegible]लो
इन्तजार [illegible] दिनांक 21/03/2018
को पेश।

30/5/18 पत्रावली आज कैम्प कोर्ट डोलावा कलां में पेश हुई। चूंकि मूल वाद खारिज हो चुका है, उक्त प्रार्थना पत्र को जारी चलाने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः उक्त प्रार्थना पत्र धारा 212 RT Act का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में मजमे आम कैम्प कोर्ट में सुनाया गया।

30/5/2018

([illegible])
शिविर प्रभारी अधिकारी
रा.लो.अ.अमि. न्याय आपके द्वार-2018
एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

Scanned by CamScanner